संख्या-162/2016/730/22-2-2016-17(99)/2008

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद शर्मा पुत्र श्री सरदारी लाल निवासी जनपद-आगरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद शर्मा पुत्र श्री सरदारी लाल, निवासी-धुलियागंज धोबीपाडा, थाना-कोतवाली जिला-आगरा का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 10.06.1978 को अपरान्ह 03:00 बजे छोटे भाई के साथ बैठक में बैठे दाऊदयाल से 10 रूपये मांगे, उसके द्वारा मना करने पर खुले तीन रूपये चाट वाले को देने के लिये मांगे। पैसे न होने की बात कहने पर बन्दी द्वारा गाली गलौज तथा दाऊदयाल द्वारा विरोध करने पर बन्दी ने कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-816/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 16.06.1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-01-2016 तक 23 वर्ष 04 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 05 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है एवं पुन: अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत बन्दी की रिहाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2015 का बैठक सम्पन्न हुई जिसमें पुलिस अधीक्षक, आगरा, जिला प्रोबेशन अधिकारी आगरा, वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में समिति ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक अर्थिक दशा ठीक न होने तथा उसकी शारीरिक स्थिति शिथिल न होने के कारण समयपूर्व मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी विनोद शर्मा पुत्र श्री सरदारी लाल शर्मा निवासी जनपद-आगरा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विनोद शर्मा (बन्दी संख्या-4543) पुत्र श्री सरदारी लाल शर्मा निवासी जनपद-आगरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-162/2016/730(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-162/2016/730@22-2-2016-17(99)/2008

दिनांक 22 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद शर्मा पुत्र श्री सरदारी लाल, निवासी-धुलियागंज धोबीपाडा, थाना-कोतवाली जिला-आगरा का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 10.06.1978 को अपरान्ह् 03:00 बजे छोटे भाई के साथ बैठक में बैठे दाऊदयाल से 10 रूपये मांगे, उसके द्वारा मना करने पर खुले तीन रूपये चाट वाले को देने के लिये मांगे। पैसे न होने की बात कहने पर बन्दी द्वारा गाली गलौज तथा दाऊदयाल द्वारा विरोध करने पर बन्दी ने कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-816/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 16.06.1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12-01-2016 तक 23 वर्ष 04 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 05 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है एवं पुन: अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत बन्दी की रिहाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2015 का बैठक सम्पन्न हुई जिसमें पुलिस अधीक्षक, आगरा, जिला प्रोबेशन अधिकारी आगरा, वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में समिति ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक अर्थिक दशा ठीक न होने तथा उसकी शारीरिक स्थिति शिथिल न होने के कारण समयपूर्व मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विनोद शर्मा पुत्र श्री सरदारी लाल शर्मा निवासी जनपद-आगरा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।